भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4269

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा कर्मियों की कमी

4269. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा कर्मियों और अवसंरचना की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): देश में चिकित्सा कर्मियों और बुनियादी ढांचे का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की स्थापना और चिकित्सा कर्मियों की भर्ती सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के

रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करती है। इसका विवरण सार्वजनिक डोमेन में https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744 पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त, भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए निम्नलिखित धनराशि आवंटित की है:

- **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** में ग्रामीण क्षेत्रों में i) रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए गांवों और शहरों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सुदृढ़ीकरण; ii) जिला स्तर के अस्पतालों में नए गहन परिचर्या संबंधी बिस्तरों की में वृद्धि; iii) 11 उच्च फोकस वाले राज्यों में ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) के लिए समर्थन; और iv) सभी जिलों में एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं द्वारा स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

- **पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV)** ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच साल की अवधि में स्थानीय सरकारों के माध्यम से अनुदान की सिफारिश की है।

- स्थानीय सरकारों के माध्यम से अनुदान की सिफारिश की है **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)** का उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधा केंद्रों की संख्या को बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक हैं, अर्थात् (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना; और (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) का उन्नयन। अब तक इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में 22 नए एम्स की स्थापना और जीएमसीएल के उन्नयन की 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। एम्स की स्थापना में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी, ब्लड बैंक, आईसीयू, डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजी, अनुसंधान आदि शामिल हैं। पीएमएसएसवाई के तहत जीएमसीआई के उन्नयन में बड़े पैमाने पर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) और/या ट्रॉमा सेंटर/या अन्य सुविधा केंद्रों का निर्माण और/या चिकित्सा उपकरणों की खरीद शामिल है।

- केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) **'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना'** के तहत, ऐसे वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है।

एनएचएम के तहत देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए गए हैं:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और आवासीय क्वार्टर ।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों / आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट / जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- चिकित्सकों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एएनसी जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एएनएम के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यकलापों के संचालन के लिए प्रोत्साहन जैसे प्रोत्साहन।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए "आप कोट करें, हम अदा करेंगे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन सहित परक्राम्य वेतन की पेशकश अनुमेय है।
- एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वरीयता प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत चिकित्सकों के बहु-कौशल का समर्थन किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए एनएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक और प्रमुख कार्यनीति है।

*****